



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092021-229845
CG-DL-E-21092021-229845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530]
No. 530]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 21, 2021/भाद्र 30, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 21, 2021/BHADRA 30, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 646(अ).—पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 की उपधारा (3) के अधीन यथा-अपेक्षित पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के प्रारूप भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 106 (अ), तारीख 09 फरवरी, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको, उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिनों की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, जिस राजपत्र में उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी उसकी प्रतियाँ 09 फरवरी, 2021 को जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेटेंट नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 2 के, उपनियम (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“(गक) “शैक्षिक संस्था” से केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है व जिसमें केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य शैक्षिक संस्था शामिल है;”।

3. मूल नियम के, नियम 7 में,-

(i) उप नियम (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक को रखा जाएगा, अर्थात:-

“परंतु यह और कि किसी लघु अस्तित्व, अथवा स्टार्टअप, अथवा शैक्षिक संस्था के मामले में, प्रत्येक दस्तावेज़ जिसके लिए शुल्क विनिर्दिष्ट है, उसके साथ प्ररूप -28 संलग्न होगा।”;

(ii) उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

“(3) ऐसे मामले में जहां किसी प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप, लघु अस्तित्व अथवा शैक्षिक संस्था द्वारा किसी प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप, लघु अस्तित्व अथवा शैक्षिक संस्था से भिन्न किसी व्यक्ति को पूर्णतः अथवा अंशतः अंतरित करने के लिए आवेदन पर कार्रवाई की जाती है वहाँ प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप, लघु अस्तित्व अथवा शैक्षिक संस्था से प्रभारित फीस और प्रकृत व्यक्ति, स्टार्टअप, लघु अस्तित्व अथवा शैक्षिक संस्था से भिन्न व्यक्ति से प्रभार्य फीस की मात्रा का अंतर, यदि कोई हो, नए आवेदक द्वारा अंतरण के अनुरोध के साथ भुगतान किया जाएगा”।

4. मूल नियम में, पहली अनुसूची की सारणी 1 में, शीर्ष और उपशीर्ष, के स्थान पर,

“

प्रविष्टि संख्या	जिस पर संदेय है	संबद्ध प्रपत्र संख्या	ई-फाइलिंग के लिए		वास्तविक रूप में फाइल करने के लिए	
			प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी / (यों) के लिए	अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी / (यों) के साथ	प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी / (यों) के लिए	अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप (अप्स) अथवा छोटी कंपनी / (यों) के साथ

”

निम्नलिखित शीर्ष तथा उप-शीर्ष रखे जाएंगे, अर्थात:-

“

प्रविष्टि की संख्या	जिस पर संदेय है	सुसंगत प्ररूप की संख्या	ई-फाइलिंग के लिए		वास्तविक रूप में फाइल करने के लिए	
			प्रकृत व्यक्ति/(व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप/(स्टार्टअपों) अथवा लघु अस्तित्व/(अस्तित्वों) अथवा शैक्षिक संस्था/(संस्थाओं) के लिए	अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति/(व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप/(स्टार्टअपों) अथवा लघु अस्तित्व/(अस्तित्वों) अथवा शैक्षिक संस्था/(संस्थाओं) के साथ	प्रकृत व्यक्ति/(व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप/(स्टार्टअपों) अथवा लघु अस्तित्व/(अस्तित्वों) अथवा शैक्षिक संस्था/(संस्थाओं) के लिए	अन्य, अकेले या प्रकृत व्यक्ति/(व्यक्तियों) अथवा स्टार्टअप/(स्टार्टअपों) अथवा लघु अस्तित्व/(अस्तित्वों) अथवा शैक्षिक संस्था/(संस्थाओं) के साथ

”

5. मूल नियम में, दूसरी अनुसूची में, प्ररूप 28 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप को रखा जाएगा, अर्थात:-
“

प्ररूप 28 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 लघु अस्तित्व/ स्टार्ट-अप/शैक्षिक संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा [नियम 2 (चक), 2 (चख), 2 (गक) और 7 देखें]		
1	नाम, पता और राष्ट्रीयता प्रविष्ट करें	मैं/हम ----- पेटेंट आवेदन सं. ----- या पेटेंट सं.----- के संबंध में आवेदक/पेटेंटी ----- यह घोषित करता हूँ/ करते हैं कि मैं /हम नियम 2 (चक) के अनुसार एक लघु अस्तित्व या नियम 2(चख) के अनुसार एक स्टार्ट-अप या नियम 2(गक) के अनुसार एक शैक्षिक संस्था हूँ/हैं और निम्न दस्तावेज़ (दस्तावेजों) को सबूत के रूप में प्रस्तुत करता/करते हूँ/हैं:
2	प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़	
	i. लघु अस्तित्व होने का दावा करने के लिए:	
	क. भारतीय आवेदक के लिए: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य	
	ख. विदेशी अस्तित्व के मामले में: कोई अन्य दस्तावेज़	
	ii. स्टार्ट-अप होने का दावा करने के लिए	
	क. भारतीय आवेदक के लिए : नियम 2 (चख) में यथा परिभाषित पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज़	
	ख. विदेशी अस्तित्व के मामले में: कोई अन्य दस्तावेज़	
	iii. शैक्षिक संस्था होने का दावा करने के लिए	
	क. भारतीय आवेदक के लिए : नियम 2 (गक) में यथा परिभाषित पात्रता के साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज़	
	ख. विदेशी अस्तित्व के संदर्भ में: कोई अन्य दस्तावेज़	
3	आवेदक (आवेदकों)/ पेटेंटी (पेटेंटीयों)/ / प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	यहाँ प्रदत्त सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर सत्य है।आज तारीख20.....
4	हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम	हस्ताक्षर.....

”

[फा. सं. पी-24027/4/2020-आईपीआर-III]

श्रुति सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम संख्याक का.आ. 493(अ) तारीख 2 मई, 2003 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 689 (अ) तारीख 04 नवंबर, 2020 के द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2021

G.S.R. 646(E).—Whereas the draft of certain rules, further to amend the Patents Rules, 2003 was published as required under sub-section (3) of section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) number G.S.R. 106 (E), dated the 09th February, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public on the 09th February, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 (39 of 1970), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Patents Rules, 2003, namely: -

1. (1) These rules may be called the Patents (Amendment) Rules, 2021.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2, after sub-rule (c), the following shall be inserted, namely:-

“(ca) “educational institution” means a university established or incorporated by or under Central Act, a Provincial Act, or a State Act, and includes any other educational institution as recognised by an authority designated by the Central Government or the State Government or the Union territories in this regard;”.
3. In the principal rules, in rule 7,-
 - (i) in sub-rule (1), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided further that in the case of a small entity, or startup, or educational institution, every document for which a fee has been specified shall be accompanied by Form-28.”;
 - (ii) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(3) In case an application processed by a natural person, startup, small entity or educational institution is fully or partly transferred to a person other than a natural person, startup, small entity or educational institution, the difference, if any, in the scale of fees between the fees charged from the natural person, startup, small entity or educational institution and the fees chargeable from the person other than a natural person, startup, small entity or educational institution, shall be paid by the new applicant along with the request for transfer.”.

4. In the principal rules, in the FIRST SCHEDULE, in Table 1, for the headings and sub-headings,

“

Number of Entry	On what payable	Number of the relevant Form	For e-filing		For physical filing	
			Natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies)	Other(s), alone or with natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies)	Natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies)	Other(s), alone or with natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies)

”

the following headings and sub-headings shall be substituted, namely:—

“

Number of Entry	On what payable	Number of the relevant Form	For e-filing		For physical filing	
			Natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies) or educational institution(s)	Other(s), alone or with natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies) or educational institution(s)	Natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies) or educational institution(s)	Other(s), alone or with natural person(s) or Startup(s) or Small entit(y)/(ies) or educational institution(s)

”

5. In the principal rules, in the SECOND SCHEDULE, for Form 28 the following form shall be substituted, namely:-

“

FORM 28 THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970) AND THE PATENTS RULES, 2003 TO BE SUBMITTED BY A SMALL ENTITY /STARTUP/EDUCATIONAL INSTITUTION [See rules 2 (fa), 2(fb), 2(ca) and 7]		
1	Insert name, address and nationality.	I/We..... applicant/patentee in respect of the patent application no..... or patent no.....hereby declare that I/we am/are a small entity in accordance with rule 2(fa) or a startup in accordance with rule 2(fb) or an educational institution in accordance with rule 2(ca) and submit the following document(s) as proof:

2	Documents to be submitted	
	i. For claiming the status of a small entity:	
	A. For an Indian applicant: Evidence of registration under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006(27 of 2006).	
	B. In case of a foreign entity: Any other document.	
	ii. For claiming the status of a startup	
	A. For an Indian applicant: Any document as evidence of eligibility, as defined in rule 2(fb).	
	B. In case of a foreign entity: Any other document.	
	iii For claiming the status of an educational institution	
	A. For an Indian applicant: Any document as evidence of eligibility, as defined in rule 2(ca).	
	B. In case of a foreign educational institution: Any other document.	
3	To be signed by the applicant(s) /patentee(s)/authorized registered patent agent.	The information provided herein is correct to the best of my/our knowledge and belief. Dated this ... day of..... ..20
4	Name of the natural person who has signed.	Signature.....

”.

[F. No. P-24027/4/2020-IPR-III]

SHRUTI SINGH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (ii) *vide* number S.O. 493 (E) dated the 2nd May, 2003 and last amended *vide* notification number G.S.R. 689 (E) dated the 4th November, 2020.